

न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

मिशनरी- 2775/2018/रीवा/भू-र
पुनरीक्षण कमांक...../18



1. श्रीमती प्रेमवती शुक्ला उम्र 80 वर्ष पत्नी स्व० श्री ठाकुरदीन शुक्ला
 2. देवेन्द्र शुक्ला उम्र 50 वर्ष तनय स्व० श्री ठाकुरदीन शुक्ला
- निवासीगण ग्राम बाबूपुर थाना चोरहटा, तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र०

---आवेदकगण

बिरुद्ध

- 1. सुशीला पत्नी स्व० सुरेशचन्द्र मिश्रा
- 2. राजेश कुमार तनय स्व० सुरेशचन्द्र मिश्रा
- 3. विजय कुमार तनय स्व० सुरेशचन्द्र मिश्रा
- 4. श्रीमती रज्जू देवी पत्नी स्व० रमेशचन्द्र उम्र 60 वर्ष
- 5. अवधेश मिश्र उम्र 46 वर्ष तनय स्व० श्री रमेशचन्द्र मिश्र
- 6. मिथिलेश मिश्र उम्र 41 वर्ष तनय स्व० श्री रमेशचन्द्र मिश्र
- 7. नरेश मिश्र उम्र 38 वर्ष तनय स्व० श्री रमेशचन्द्र मिश्र
- 8. श्रीमती सुनीता देवी पत्नी स्व० श्री द्वारिका प्रसाद ब्रा०
- 9. संदीप कुमार तनय स्व० द्वारिका प्रसाद
- 10. सतीश कुमार तनय स्व० द्वारिका प्रसाद मिश्र

सभी निवासी ग्राम बाबूपुर तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र०

---अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता
1959ई० बिरुद्ध आदेश तहसीलदार हुजूर जिला रीवा
आदेश दिनांक 04.05.2018 जो प्रकरण कमांक
203/बी-121/2014-15 मे पारित।

मान्यवर,

मामले से संबंधित तथ्य:-



डेवेन्द्र शुक्ला

Debat di
08/05/18

श्री देवेन्द्र शुक्ला
द्वारा आज दिनांक 8/5/18 को
प्रस्तुत। प्रारम्भिक फर्क हेतु
दिनांक 22/5/18 मिश्रा।
कलकत्ता कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र., ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी- 2775/2018/रीवा/भू.रा.

श्रीमती प्रेमवती व अन्य विरुद्ध सुशीला आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05-03-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार हुजूर, जिला-रीवा के प्रकरण क्रमांक 203/बी-121/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 04-05-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 03-05-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर0के0 जैन) सदस्य 05/3/2019</p>